The Madhya Pradesh Wood Chiran (Regulation) Act, 1984

Act No. 13 of 1984

Amendments appended: 5 of 2011, 4 of 2022, 26 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

[1]मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984

मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13, वर्ष 1984

दिनांक 11 अप्रैल, 1984 को महामहित राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त तथा मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र. 8762/इक्कसी/अ.(प्रा.) दि. 11 अप्रैल, 1984 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित (पृष्ठ 1155-1173)

वनों तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से आरा मिलों [2](........) की स्थापना ओर उनके प्रचालन का तथा काष्ट चिरान के व्यापार का लोकहित में विनियमन करने के लिये उपलब्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणतन्त्र के पैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो।

धारा 1. संक्षिप्त नाम विस्तार - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 हैं।"

(2) इसका विस्तार पूरे मध्यप्रदेश पर है।

धारा 2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

[1](क) "नियत दिन" से अभिप्रेत है 15 दिसम्बर, 1983 जिसको कि मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियमन) अध्यादेश 1983 (11 वर्ष 1983) सम्पूर्ण म. प्र. राज्य में प्रवृत्त हुआ।

(ख) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति।

(ग) 'अनुज्ञप्तिधारी' से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मन्जूर की गई है।

(घ) "अनुज्ञापन अधिकारी", से अभिप्रेत है धारा (3) के अधीन नियुक्ति किया गया अनुज्ञापन अधिकारी।

(ङ) "अधिसूचित आदेश" से अभिप्रेत है राजपत्र में अधिसूचित किया आदेश।

---

1. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अध्यादेश (17 वर्ष 1984) की धारा 3 से प्रतिस्थापित। अध्यादेश का स्थान म. प्र. अधिनियम क्र. 13 (वर्ष 1984) ने लिया।

(च) "आरा-मिल" से अभिप्रेत है ऐसे संयंत्र और मशीनरी जिससे, और ऐसा परिसर जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएँ भी जाती हैं जिसमें या जिसके किसी भाग में काष्ठ की चिराई विद्युत या यांत्रिक शक्ति के सहायता से की जाती हैं, किन्तु इसमें वर्मा (ड्रिल), टर्निंग मशीन, रूंदा (प्लेनर), छोटा आरा मशीन (जिग सा मशीन) तथा बोडिंग टूल्स सम्मिलित नहीं हैं।"

[1](छ) (विलोपित)।

(ज) "चिरान" से उसके व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है या तो विद्युत या यान्त्रिक शक्ति की सहायता से यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा या हस्तचालित, आरों से काष्ठ की चिराई करने, कटाई करने, उसे रूपान्तरित करने, उसे गढ़ने या उसका संशोषण (Seasoning) करने की संक्रिया और उसके अन्तर्गत उसका परिरक्षित (Preservation) और उसे साधित (Treatment) किया जाना आता है।

[1](ज-ज) "लकड़ी-टाल" से अभिप्रेत है किसी आरा-मिल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा लकड़ी-टाल के रूप में अधिसूचित किया गया कोई विनिर्दिष्ट स्थान,"

(झ) "यान" (Vehicle) के अन्तर्गत ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, मोटर-यान, नाव तथा छकड़ा (Cart) आते हैं।

(ञ) "काष्ठ" के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जबकि वे गिर गये हों, गिराये गये हों और किसी भी प्रजाति का समस्त काष्ठ, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिये काटा गया, रूपान्तरित किया गया, गढ़ा गया, चीरा गया या खोखला किया गया हो या न किया गया हो।

(ट) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है और जो भातीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में परिभाषित हैं, तो वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उसके लिए दिये गये हैं।

धारा 3. अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति - राज्य शासन-

(क) खण्ड वन पदाधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को इस नियम को प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(ख) उस स्थानीय सामाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके भीतर कोई अनुज्ञापन अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञापन अधिकारी को प्रदत्त की गई है तथा उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

धारा 4. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन - नियत दिन से-

(क) कोई भी व्यक्ति किसी आरा मिल [1](........) की स्थापना इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन तथा उसकी शर्तों के अधीन रहते हुए ही करेगा अन्यथा नहीं।
"परन्तु राज्य सरकार ऐसी कालावधि अधिसूचित कर कसेगी जिसके दौरान किसी नई आरा-मिल की स्थापा के लिए कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी"

(ख) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे आरा मिल [1](........), जो उक्त तारीख के अस्तित्व में हो तब तक नहीं चलायेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को, उसके द्वारा ऐसी तारीख से तीस दिन के भीतर, किये गये आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त अनुमति मंजूर न कर दी गई हो :

---

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 (क्र. 13 वर्ष 2003) द्वारा विलोपित। एवं 5/2011 दि. 11.1.2011

परन्तु तीस दिन की कलावधि तक, तथा उसके पश्चात् उतनी कालावधि के दौरान, जिसमें आवेदन विचारार्थ लम्बित रहता है, यह समझा जायेगा मानो कि ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर कर दी गई थी और वह तद्नुसार आरा मिल [1](........) को चला रहा था।

धारा 5. प्रतिषिद्ध क्षेत्र की घोषणा - (1) राज्य सरकार अधिसूना द्वारा, उन कारणों से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जावेंगे, किसी क्षेत्र को, एक बार में तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जावे, प्रतिषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) घोषित कर सकेगी।

(2) उन कालावधि के दौरान, जिसके लिए किसी क्षेत्र को उपधारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्-

(क) उस क्षेत्र में कोई आरा मिल [1](........) स्थापित करने के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जावेगी।

(ख) उस कालावधि के दौरान कोई अनुज्ञप्ति नवीनीकृत (Renewed) नहीं की जावेगी।

(ग) उस क्षेत्र में स्थित आरा मिल [1](........), चलना बन्द हो जायेगी और वह चिरान की संक्रियाएँ (Sawing Operations) बन्द रखेगा;
किन्तु अनुज्ञापन अधिकारी, आरा मिल या आरा गड्ढे में जमा काष्ठ की चिराई की जाने की अनुज्ञा ऐसी शर्तों एवं निबन्धों के अधीन, दे सकेगा, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे।

(घ) बन्द रहने के कारण हुई नुकसानी के मद्दे कोई दावा न तो ग्रहण किया जायेगा न ही कोई नुकसानी संदेय होगी।

"5-क. लकड़ी-टाल की घोषणा -

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से तथा उन कारणों से, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी क्षेत्र को लकड़ी-टाल के रूप में घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन लकड़ी-टाल की घोषणा की तारीख से किसी नई आरा-मिल के लिए ऐसी दूरी के भीतर जैसी कि विहित की जाए कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि लकड़ी-टाल के भीतर आरा-मिल का स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं हो जाता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन लकड़ी-टाल की घोषणा की तारीख के पूर्व मंजूर की गई अनुज्ञपित उपधारा (2) के अधीन विहित की गई दूरी के भीतर तब ही नवीकृत की जाएगी यदि अनुज्ञप्तिधारी नवीकरण की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरा-मिल को लकड़ी-टाल में ले जाने का वचन देता है"

धारा 6. अनुज्ञप्ति की मन्जूरी, उसका नवीनीकरण, प्रतिसंहरण या निलम्बन -

(1) धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसी आवेदन फीस तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए ऐसा प्रतिभूत निक्षेप प्रस्तुत करेगा जैस विहित किया जाये।

---

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 (क्र. 13 वर्ष 2003) द्वारा संशोधित/विलोपित।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे-

(एक) अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।

(दो) लिखित आदेश द्वारा, उन कारणों से, जो उस आदेश में संक्षिप्त में कथित किये जावेंगे, अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार करेगा;

परन्तु अनुज्ञप्ति मंजूर करेन से इंकार करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा ऐसी शर्तों के, जो विहित की जावें, अध्यधीन होगी।

(4) इस धारा के उपबन्ध, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण को, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार अनुज्ञप्ति के मंजूर किये जाने या अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार करने के लिए लागू होते हैं।

(5) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का, या तो उसे इस निमित्त किये गये निर्देश पर से या अन्यथा या समाधान हो जाता है कि-

अधिसूचना - अधि. क्र. एफ 30.4.2002-दस-3 दिनांक 22.7.2009

म.प्र. शासन काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 (क्र. 13 वर्ष 1984) की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधसूचना क्र. एफ 30.4.2002-दस-3 दिनांक 8 अगस्त, 2006 को जो म.प्र. राज्य पत्र में दिनांक 18.8.2006 को प्रकाशित हुई के तारतम्य में राज्य सरकार, एतद् द्वारा, लोकहित तथा वन पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उनकी सुरक्षा करने की दृष्टि से नगरपालिका निगम, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र को छोड़कर आरक्षित या संरक्षित वन की सीमाओं के बाहर 20 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को 8 अगस्त, 2009 से 3 वर्ष की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करता है।

परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वार गठित आधिकार द्वारा मुक्त किये क्षेत्र - (1) बालाघाट जिले के किरनापुर, हिर्री, लांजी, खेरलांजी दल्हापुर, लालबर्रा, मानपुर, अमला झिरी तथा को सभी और ऐसे समस्त क्षेत्र जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति ने मुक्त किया है या ऐसी आरा मशीनें जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति ने उनके निरन्तर प्रचालन के लिए अनुज्ञात किया है, उक्त घोषणा किये गये प्रतिषिद्ध क्षेत्र से मुक्त रहेंगे। अधि.क्र. म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 31.7.09 पृष्ठ 1893 पर प्रकाशित।

(क) अनुज्ञप्ति आरा मिल [1](........) पर अपने नियन्त्रण से सम्पूर्णः या भागतः अलग हो गया है, या यह कि उसने ऐसी आरा मिल [1](........) को चलाया या उस पर स्वामित्व रखना अन्यथा बन्द कर दिया है, या

(ख) अनुज्ञप्तिदारी ने, युक्तियुक्ति हेतु बिना, अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी शर्त का या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया है, या इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, या

---

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा विलोपित।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी के आरा मिल [1](........) के परिसर में ऐसा काष्ठ रखा है जिसके सम्बन्ध में वह समाधानप्रद रूप से लेखा-जोखा नहीं दे सकता है और परिणामस्वरूप जो धारा 9 के अधीन अधिहृत किये जाने के दायित्वाधीन है, तो किसी ऐसी अन्य शास्ति के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन उत्तदायी हो सकता है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापन अधिकारी हेतुक दर्शाने का अवसर अनुज्ञप्तिधारी को देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत (Revoke) या निलम्बित (Suspend) कर सकेगा, और वह धनराशि, यदि कोई हो, जो उन शर्तों के जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूत के रूप में जमा की गई है, उसको अथवा उसके किसी भाग को समपहृत (Forfeit) कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को दी जायेगी।

धारा 7. प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्ति - (1) किसी आरा मिल [1](........) की स्थिति का अभिनिश्चयन (Ascertaining) करने या उसके संचालन की परीक्षा कार्य करने के प्रयोजन से, या इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अनुज्ञापन अधिकारी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जो अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो-

(क) किसी आरा मिल [1](........) में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(ख) किन्ही दस्तावेजों, बहियों, रजिस्टरों, या अभिलेखों को, जो किसी आरा मिल [1](........) पर नियन्त्रण रखने वाले, किसी व्यक्ति के अथवा, उसके सम्बन्ध में नियोजित किसी के कब्जे या अधिकार में है, परीक्षा कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें पेश किये जाने का आदेश दे सकेगा।

(ग) किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा, या इस अधिनियम के तथा उसके बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में उपयोग में लाये गये या उपयोग में लाये जाने के आशयित, किसी परिसर, यान, मशीन, औजारों और उपस्करों की तलाशी ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिये किसी यान या व्यक्ति को रोक सकेगा।

(घ) ऐसे काष्ठ, संयंत्रों और मशीनरी, औजार, यान और किसी अन्य वस्तु को, जिसके कि बारे में उसे सन्देह है कि वह इस अधिनियम के या, उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने में पहले से ही अन्तर्ग्रस्त है, या उपयोग में लाई जाने वाली है, अभिग्रहित (Seize) कर सकेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबन्ध, जे तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित हैं, जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन की तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

धारा 8. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना - प्रत्येक अनुज्ञप्तिधरी, यथास्थित आरा मिल [2](........) के कामकाज के सम्बन्ध में ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्रारूप में, और ऐसे अधिकारी को, तथा ऐसी तारीखों पर प्रस्तुत करेगा, जैसे विहित किया जावे।

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा विलोपित।
2. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा लुप्त तथा धारा 9

धारा 9. आरा मिल तथा [1](........) में के काष्ठ के स्टाक के लेखाओं का रखा जाना - (I) ऐसा काष्ठ का चाहे वह चिरा हुआ हो, जो आरा मिल [1](........) में या चिरान स्थल पर पाया जावे या चिरान के प्रयोजन के लिए या इसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय या किसी कालावधि के दौरान किसी भी रीति में या किन्हीं भी साधनों द्वारा वहाँ लाया जाये, लेखाजोखा समुचित रूप से रखा जावेगा तथा ऐसे सुसंगत साक्ष्य दस्तावेज, रसीदें, आदेश तथा प्रमाण-पत्र जो यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हों कि वह काष्ठ वैध रूप से अभिप्राप्त किया गया है, रखे जावेंगे और निरीक्षण के समय उपलब्ध कराये जावेंगे। काष्ठ के ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका समाधानप्रद रूप में लेखा जोखा नहीं रखा गया है, यह उपधारणा की जावेगी कि वह विधि-विरुद्ध (Un-lawfully) अभिप्राय किया गया है और काष्ठ का वह स्टॉक अधिहृत किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

धारा 10. बिना अनुमति (Unlicensed) आरा मिल में विद्युत संयोजना आदि का प्रतिषेध - (1) नियम दिन से ही और विद्युत से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी आरा मिल के प्रयोजन के लिए कोई विद्युत ऊर्जा तब तक उपयोग नहीं की जावेगी और कोई विद्युत संयोजन (Electric Connection) तब तक नहीं लगाया जावेगा या उस प्रयोजन के लिए तब तक चालू नहीं रखा जावेगा, जब तक कि ऐसी आरा मिल इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त न हो या अनुज्ञप्त न समझी जाती हो और ऐसे विद्युत संयोजन को तब तक चालू रखा जावेगा जब तक कि ऐसी आरा मिल, इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई या मंजूर की गई समझी गई, विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन चालू रहती है।

(2) राज्य सरकार इस धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नोट - उपरोक्त धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत लेखा रखा जाना वैध है। मि.पि. क्र. 2992/1984 निर्णय दि. 8-9-87 जबलपुर उच्च न्यायालय।

धारा 11. अपील - (1) अनुज्ञप्ति मंजूर करने या अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करने से अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इन्कार किये जाने से या किसी अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार या निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश की, उस पर तामिल की जाने से तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो अपीलार्थी को और अनुज्ञापन अधिकारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा तथा वह आदेश अनुज्ञापन अधिकारी के लिए आबद्धकर होगा।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी का आदेश, जब तक कि विहित प्राधिकारी सशर्त या बिना शर्त या अन्यथा निर्देश न दें, उपधारा (1) के अधीन की अपील का निपटारा होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

धारा 12. काष्ठ, संयंत्रों, मशीनरी आदि के विधि विरुद्ध स्टॉक का अधिहरण - (1) धारा (4) खण्ड (ख) में उपबन्धित से सिवाय-

(क) जहाँ कोई आरा मिल [2](........) किसी ऐसे क्षेत्र में जिसे धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिसिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) घोषित किया है, स्थापित किया जाता है या चलाया जाता है, या

(ख) जहाँ कोई आरा मिल या [2](........) धारा 6 की उपधारा क्रमशः 2 तथा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के बिना स्थापित किया जाता है या चलाया जाता है।

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा लुप्त तथा धारा 9
2. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा विलुप्त।

(ग) जहाँ कोई आरा मिल [1](........) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलम्बित या प्रतिसंहृत कर लिये जाने के पश्चात् चलाया जाता है; या

(घ) जहाँ कोई आरा मिल [1](........) धारा 10 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते विद्युत ऊर्जा या विद्युत संस्थापन की सहायता से चलाया जाता है; या

(ङ) जहाँ किसी आरा मिल [1](........) में ऐसा काष्ठ भण्डारित किया जाता है जिसका लेखा-जोखा नहीं रखा गया है।

[2]वहाँ अनुज्ञापन अधिकारी विधि विरूद्धतया (Unlawfully) भण्डारित काष्ठ के स्टॉक को यथास्थिति उन समस्त संयंत्रों, मशीनरी, उपकरणों और उपस्करों को, की या उनके किसी भाग को अधिहृत (Confiscation) किये जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति को अधिहृत करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि उस व्यक्ति को, सिकी सम्पत्ति अभिग्रहित (Seize) की गई है, और उस दशा में जबकि ऐसी सम्पत्ति का स्वामी ज्ञात हो, ऐसे व्यक्ति को-

(क) वे आधार जिन पर ऐसी सम्पत्ति को अधिहृत किया जाना प्रस्तावित है, सूचित करते हुए लिखित सूचना नहीं दे दी जाती।

(ख) अधिहरण के आधारों के विरूद्ध लिखित अभ्यावेदन उतने युक्तियुक्त समय के भीतर जितना सूचना में विनर्दिष्ट किया जाए करने का अवसर नहीं दे दिया जाता और

(ग) इस मामले में सुनने की युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।

(3) वन संराक्षक की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई वन अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस निमित्त सशक्त किया हो। अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किये गये अधिहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन किया जाने पर उस आदेा से सम्बन्धित अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसी जाँच करवा सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे, परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुने जाने का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश उसे संसूचित किया जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, जिला न्यायालय को अपील कर सकेगा जो उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है, जिसमें वह सम्पत्ति अभिगृहीत की गई और वह जिला न्यायालय पक्षकरों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह ठीक समझे और जिला न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा। जहाँ उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन पारित किसी सम्पत्ति केा अधिहृत किये जाने का कोई आदेश ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके भाग के सम्बन्ध में अन्तिम हो गया हो, वहाँ यथास्थिति ऐसी सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग सभी विल्लगमों (Encumberances) से मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जायेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन अधिहरण के आदेश के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी ऐसी अन्य शास्ति का अधिरोपित किया जाना वर्जित करता है जिसके लिये वह व्यक्ति, जिससे वह सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है, इस अधिनियम के अधीन दायी है।

---

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा विलुप्त।
2. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2005 (क्र. 9 वर्ष 2005) द्वारा संशोधित (म.प्र. राजपत्र दि. 27.4.05 पृष्ठ 372 पर प्रकाशित)

नोट - अधिसूचना क्र. 18-3-85-दस 3 (अधि. तीन) के द्वारा धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वन संरक्षक, जो क्षेत्रीय वन वृत्त के प्रभार में हो, इस उपधारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करने को सशक्त करती है।

धारा 13. शास्तियाँ - (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या उसके उल्लंघन का दुष्प्रेरणा करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में अतिरिक्ति जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के

लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, चार सौ रु. तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा: परन्तु -

(एक) जहाँ ऐसा उल्लंघन, प्रयत्न या दुष्प्रेरणा धारा (4) से सम्बन्धित है या

(दो) जब उस उल्लंघन में अन्तर्ग्रस्त विधि विरूद्ध (Unlawful) काष्ठ का परिमाण, पाँच घन मीटर से अधिक है, वहाँ द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये, दोनों में से प्रत्येक दशा में न्यूनतम कारावास तीन मास का तथा दोनों में से प्रत्येक दशा में न्यूनतम जुर्माना छः हजार रुपये होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति-

(एक) जब उसे इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन के किसी आदेश द्वारा कोई कथन करने या ऐसी जानकारी देने के लिये अपेक्षित किया गया हो, ऐसा कथन करेगा या ऐसी जानकारी देगा जो किसी तात्विक (Material) विशिष्ट के सम्बन्ध में मिथ्या है और जिसके बारे में वह यह जानता है कि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है अथवा जिसके बारे में उसे यह विश्वास नहीं है कि वह सत्य है; या

(दो) किसी बही, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में, जिसे रखने या देने के लिये वह इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, यथापूर्वोक्त कोई कथन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो छः हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 14. कम्पनियों द्वारा अपराध - (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये, उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जावेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

परन्तु इस अपराध में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सम्यक् तत्परता बरती थी :

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होतु हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्पत्ति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिये-

(क) 'कम्पनी' से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों की अन्य संस्था आती है।

(ख) फर्म के सम्बन्ध में निदेशक से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

धारा 15. सबूत का भार (Burden of proof) - (1) जहाँ कोई काष्ठ, चाहे वह चिरा हुआ हो या बिना चिरा हो, ऐसी आरा मिल [***][1] से बरामद होता है, जिसके लिये इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति मौजूद नहीं है, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है जिसके कि साबित करने की भार अभियुक्त पर होगा, तब तक यह उपधारणा की जायेगी कि वह आरा मिल या आरा गड्ढा चालू था।

(2) जहाँ इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के विरुद्ध किसी अपराध के लिये, किसी अभियोजन में यह सिद्ध होता है कि विधि विरुद्ध घोषित किया गया कोई काष्ठ किसी व्यक्ति का आरा मिल के परिसर में या किसी ऐसे स्थल पर जहाँ चिराई की जा रही थी, अभिग्रहीत किया गया था, वहाँ जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, जिसके कि साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह

उपधारणा की जायेगी कि ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

धारा 16. अपराध का संज्ञान - कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसा अपराध गठित करने वाले तत्व के बारे में अनुज्ञापन अधिकारी (Licensing Officer) द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने या अनुज्ञापन अधिकारी ने इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किया हो, की गई लिखित रिपोर्ट पर ही करेगा अन्यथा नहीं।

नोट- राज्य सरकार ने अधिनियम क्र. 18-3-85-x-III (नोट 4) दि. 4-10-85 से धारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु समस्त उपवन मण्डलाधिकारियों तथा सहायक वन संरक्षकों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त धारा के प्रयोजन के लिये अधिकृत किया है।

धारा 17. न्यायालय की अधिकारिता - प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अवर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

धारा 18. अपराध का प्रशमन (Composition of offences) (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया वन अधिकारी-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति धारा (6) की उपधारा 5 के अधीन प्रतिसंहृत (Revoke) कर लिये जाने या निलम्बित कर लिये जाने के दायित्वधीन है या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त रूप से यह सन्देह है कि उसने धारा 8 के अधीन विवरणी प्रस्तुत न करने का धारा 9 के अधीन कष्ठ का लेखा-जोखा न रखने, या विधि-विरुद्धतया (Un-lawfully) अभिप्राप्त किये गये काष्ट की, जिसका परिमाण (Volume) आधे घन मीटर से कम हो, चिराई करने का अपराध प्रथम बार किया है, दस हजार रुपये से अनाधिक धनराशि, यथा स्थिति ऐसे प्रतिसंहरण या निलम्बन के बदले या ऐसे अपराध के शमन के रूप में प्रतिग्रहित कर सकेगा और शास्ति के रूप में दस हजार रुपये से अनधिक राशि अधिरोपित कर सकेगा और विधि-विरूद्ध अभिप्राप्त किये गये काष्ठ को, जिसका अभिग्रहण किया गया था, अधिहृत किये जाने का आदेश करेगा।

---

1. म.प्र. राजपत्र दि. 26.4.2003 द्वारा विलोपित।

(ख) किसी ऐसे मामले में, जिसमें कोई सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन किये जाने के दायित्वधीन अभिग्रहीत (Seize) कर ली गई है समुचित प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिहरण (Confisestion) का आदेश पारित किये जाने के पूर्व, उस सम्पत्ति को, वन अधिकारी द्वारा प्राक्कलित उसके मूल्य का संदाय कर दिये जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा।

(2) वन अधिकारी को यथा-स्थिति ऐसी धनराशि का या ऐसे मूल्य का या दोनों का संदाय कर दिया जो पर, अभियुक्त वयक्ति को, यदि वह अभिरक्षा (Custody) में है तो उसे छोड़ दिया जायेगा (Discharged), अभिग्रहित सम्पत्ति निर्मुक्त कर दी जावेगी, और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध या ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नोट - मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना क्र. 18-3-85-दस-3- (अधि. पाँच) दि. 4 अक्टूबर 1985 के द्वारा इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वन मण्डलाधिकारी, जो क्षेत्रीय वन मण्डल के प्रभार में हो, उक्त धारा के प्रयोजन के लिये संसक्त किया है। (देंखे राजपत्र (असाधारण) दि. 7-10-85 पृष्ठ 2001)

धारा 19. अनुज्ञापन अधिकारी आदि लोक सेवक होंगे - अनुज्ञापन अधिकारी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, उस पर रोपित किन्हीं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाता है, भारतीय दण्ड संहित 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

धारा 20. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण - इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी भी बात के

लिये कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ, राज्य सरकार या किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरूद्ध नहीं होंगी।

धारा 21. पुरस्कार - न्यायालय या यथा-स्थिति अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जिसकी या जिनकी जानकारी के परिणामस्वरूप इस, अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के उल्लंघन का निर्विवाद रूप से पता लगा हो, उतनी रकम का, जो जुर्माने, की रकम के और/या समपहृत और/या अधिहृत सम्पत्ति के मूल्य के एक-चौथाई के अधिक नहीं होगी, पुरस्कार दिये जाने की अनुज्ञा या आदेश दे सकेगा।

धारा 22. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम, अधिसूचना द्वारा और पूर्ण प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उसमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे अर्थात्-

(क) धारा (6) की उपधारा (1) के अधीन प्रारूप जिसमें आवेदन किया जायेगा और वह फीस तथा प्रतिभूति निक्षेप जो ऐसे आवेदन के साथ होगा।

(ख) धारा (6) की उपधारा (3) के अधीन वे शर्तें जिनके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति मन्जूर की जायेगी।

(ग) धारा (6) की उपधारा (4) के अधीन वह कालावधि जिसके लिये, वह फीस, जिसका संदाय किया जाने पर, और शर्त जिसके अध्यधीन अनुज्ञप्ति नवीकृत की जा सकेगी।

(घ) धारा (8) के अधीन के प्रारूप जिसमें, तथा वे तारीखें जिन पर विवरणियाँ प्रस्तुत की जायेंगी और वह अधिकारी जिसका विवरणी दी जावेगी।

(ङ) धारा (10) की उपधारा (2) के अधीन विद्युत संयोजन आदि लगाये जाने के लिये।

(च) धारा (11) के अधीन वह प्राधिकारी जिसको अपील की जायेगी।

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जावेंगे।

धारा 23. अन्य अधिनियमों तथा विधियों का आरामिल [1](........) को लागू न होना - किसी अन्य अधिनियम या विधि, नियम या आदेश में अन्तर्विष्ट कोई भी बात या राज्य के किन्हीं क्षेत्रों में विधि का बल रखने वाली कोई भी बात आरा मिल [1](........) को तथा चिरान को उन विषयों का बाबत लागू नहीं होगी जिसके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध अन्तर्विष्ट है।

धारा 24. व्यावृत्ति (Saving) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध -

(क) बढ़ईगिरी की उन सामान्य प्रक्रियाओं को जिसमें आरा मिल [1](........) का कार्य न ही है, को लागू नहीं होंगे।

(ख) राज्य शासन के स्वामित्व की आरा मिल।

धारा 25. कठिनाई दूर करने की शक्ति - यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, ऐसी उपबन्धों से असंगत न होने वाली, कोई भी बात कर सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है। परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

धारा 26. निरसन - मध्य प्रदेश काष्ट चिरान (विनियमन) अध्यादेश दि. 1983 (क्रमांक 11 वर्ष 1983) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

नोट- (1) अधिसूचना क्र. 3415/X/83 दिनांक 15-12-83 जो असाधारण राज-पत्र दि. 15-12-83 के प्रकाशित हुआ है। (1) काष्ठ चिरान (विनियमन) अध्यादेश दि. 15-12-83 से पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुआ।

(2) धारा 3(a) के तहत वन मण्डलाधिकारी को अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया गया।

(3) धारा 11(1) के तहत वन संरक्षक को अपील अधिकारी नियुक्त किया।

(4) म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम को 15-12-83 से लागू करना अनियमित नहीं है। मि. पिटीशन क्र. 2992/1984 जबलपुर उच्च न्यायालय निर्णय दि. 8-9-87

अधिसूचना क्र. 18-3-85/दस/3 (अ-1) (अनुज्ञप्तिधारी 1) के द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्न संशोधन किया।

संशोधन - उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 2 तथा 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को लोप किया जावे।

म.प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल का पत्र क्र. एफ-30-56-93-पाँच-3, दिनांक 23-2-94 जो प्रधान वन संरक्षक एवं अन्य अधिकारियों को संबोधित है के अनुसार : (1) छोटी आरा मशीन और खराब मशीन जहाँ पर कि केवल फिनीश्ड प्रोडक्ट्स बनाये जाते हैं और चिराई का कार्य नहीं किया जाता है के नियमितीकरण एवं स्वीकृत हेतु संबंधित वन मण्डलाधिकारी, जो कि अधिनियम में अनुज्ञापन अधिकारी घोषित है को अधिकृत किया जाता है।

---

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा विलोपित।

2. कोई भी व्यक्ति जिसके पास आरा मशीन चलाने की अनुज्ञप्ति हो, अपनी आरा मशीन अन्य व्यक्ति को बेच सकता है और ऐसी स्थिति में वह अनुज्ञप्ति उस एक कैलेण्डर वर्ष के लिये क्रेता/संबंधित व्यक्ति को हस्तांतरित की जायेगी परन्तु उन प्रकरणों में जहाँ किसी आरा मशीन के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही प्रस्तावित हो, अथवा प्रगति पर हो, की अनुज्ञप्ति हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

3. आरा मशीन की अनुज्ञप्ति तीन वर्ष की फीस लेकर 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत की जा सकेगी।

इस संबंध में म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही की जाये।

(अधिसूचना क्रमांक एफ-18-4-90-पाँच-3, दिनांक 17 जनवरी, 1991 (मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 जनवरी, 1991 पृष्ठ 240 (4)-240(12) में प्रकाशित)

अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2002-दस-3, दिनांक 8-8-2003 (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15-8-03 पर प्रकाशित प्रतिषिद्ध क्षेत्र-

Notification N. F-30-4-2002 दस-3 दिनांक 8-8-2003 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam', 1984 (No. I of 1984), the State Government hereby declares the area specified in column (1) of the Table below to be prohibited area for the period specified in the corresponding entry in column (4) thereof for the reasons specified in column (5) of the said Table -

तालिका (Table)

अनुक्रमांक Serial	जिला District	प्रतिषिद्ध क्षेत्र होना घोषित Area (Specified)	प्रतिषिद्ध रहने की अवधि Period	कारण Reasons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shivpuri district	Total Geographical area of Shivpuri district excluding Municipal area Shivpuri, Kolaras, Badarwas, Karera, Pichhor, Vilalge area, Bhagorn, Hatod, Piparasama, Pohri, Bhatanwar, Kakarauva, Parichhava, Gajigarh, Lukawasa, Randua, Akajhiri, Mada-Ganesh, Kheda, Piroth, Khatora, Narawar, Magareni, Aichwada, Dinara, Karai, Khod, Bamor Kala, Kalipahadi, Semari,	3 yrs.	For conservation on protection of forests and environment in public interest

		Mayapur, Manpura, Bamor, Demron, Nayakheda, Khaniyadhana, Semari, Pipara, Sanabalkhurd, Muhari and Kamalpura,
2.	Guna district	Total Geographical area of Guna, district excluding Municipal area Guna excluding Municipal area Ashok nagar, Chanderi, Mungawali, and Binaganj, Village area Myana, Bhaura, Kumbharaj, Mrigwas, Isagara, Anandpur, Naisarai, Piparai, Sadora, Raghogarh, Aron, Ruthiai, Awan, Govindpura, dharanawada, Maksudangarh, and Jamner.
3.	Betul district	Total Geographical area of Betul district excluding Municipal area Betul, Amla, Bhainsdehi, Multai and Village Pathakhala Collery, Khadna, area. Village area, Ghodadongri, Shahpur, Bhura, Khodli Bazar Paramandal, Birul, Ashta, Amraoti, Khat, Gola, Chikali, Nimanwada, Athenr and Chicholi.
4.	Khandwa	Total Geographical area of Khandwa, district excluding Municipal Corporation area (East Nimar) Khandwa and Burhanpur, Harsud, and Shahpur, Nepanagar, Singot.
5.	Khargone district	Total Geographical area of Khargone, district excluding Municipal area of Khargone, (West Nimar) Sanawad, Bhikangaon, Burwaha,
6.	Barwani district	Badwani, Anjad, Pansemal and Sendhwa Village, area Balkuva. Karahi, Mandleshwar.
7.	Indore district	Total Geographical area of Indore, district excluding Municipal Corporation area Indore, Municipal area Sanwer, Depalpur, Manpur, Contonment area Mhow, Village area Kachhalia Chandankhedi, Badi-Kalmer, Kampekl, Billor Khurd, Pivray, Dharampuri, Tejaji Nagar, Gautampura, Hatod, Betma, Rao, Bharanat, Chandawatiganj, Semiliachau, Mhowgaon, Kishanganj, Hasalpur, Kshipra, Girota and Kanadia.
8.	Dhar district	Total Geographical area of Dhar, district excluding Municipal area Dhar, Kukshi, Saradarpur, Badnawar, Manawar, Dharampuri and Dhamnod, Village area Kasiur, Anarad, Rajgad, Kamwan, Dasai, Bidwal, Barmandal, Makni, Edalduna, Jajod, Mandu, Dhanabilod, Sagor, Bakaner, Singhana, Walipur, Pithampur & Lohari.
9.	Dewas district	Total Geographical area of Dewas, district forests and excluding Municipal Corporation area Dewas, Municipal area Sonkatch, Bhonrasa, Hatpiplia, Tonk-Khurd, Kannod, Khategaon, Kantaphod, Lahahda, Satwas, Bagli, and Karnawad, Village area Edlora, Bohri, Chapra., Sundrol, Pathari, Devgarh, Suklia, Kshipra, Maukhera (Newari) Khatamba, Tigria-Goga, Agrod, Jirwai, Vijaganj Mandi (Dhammani) Itawa, Pipal-Rawan Chobaradhira, Amla, Taj, Bhutiya Buzurg, Ranawat Kalan and Singaoda.
10.	Jhabua district	Total Geographical area of Jhabua district excluding Municipal area Bhabhra (Excludng village Kukhsi), Jhabua, Ranapura, Bamniya, thandla, Petlawad and Alirajpur, Village area Khardu-Badi, Meghanagar, Jhaknawada, Karawada, Sarangi and Barwet.

11.	Balaghat district	Total Geographical area of Balaghat district excluding Municipal area Katangi, Varaseoni, Balaghat, Hatta, Kirnapur, Lanji, Khairalanji and Baihar, Village area Dongarniali, Pandarvani, Sarakha, Aonlihiri, Kosami Piparjhari, Harri, Lamta Tirodi (Katangi).
12.	Gwalior district	Total Geographical area of Gwalior district excluding Municipal Corporation area Dabra, Panihar, Antri, Galon and Bichhodna.
13.	Morena district	Total Geographical area of Morena district excluding Municipal area Morena, Sheopur, Ambah, Porasa, Bamor, Jora, Kalaras, Sabalgarh and Vijaypur village, area Bankoda, Soi-Daraukala, Premasar, Chandrapura, Utanwada, Nurabad, Chheta Sumaoli, Parasota, Rithora, Kala, Depaira, Neptri Gasawani, Sahasafi and Birpur.
14.	Bhind district	Total Geographical area of Bhind district excluding Municipal area Bhind, (leaving Chaulana Reserve Forest) Mehgaon, Lahar, Ater and Gohad, Village area Pratappura, Jorikotawal, phunk, Akoda, Gorami, Kohar, Ammayyan, Chotora, Mau, Raun, Mihona, Katha, Badotari, Ashwar, Deorikala, Sausari, Rurai, Alampur, Daboh, Rahabaili and Uwari, Khuja (Ratanpur).
15.	Datia district	Total Geographical area of Datia district excluding Municipal area Datia, Indergarh, and Sewada Village area Busawada, Targuwa, Jaunia, Tharat, Bhagwanpura, Basai and Diguwa, Igner, Unao, Balaji.
16.	Jabalpur district	Total Geographical area of Jabalpur district excluding Municipal Corporation area Jabalpur, Municipal area Patan, Panagar, Katni and Sehora (Khatola) Shahpur (Bhitoni).

1. अधिसूचना क्र. एफ-30-4-2002-दस-3, दिनांक 14.3.06 से बालाघाट जिले के किरनापुर, हिर्री, लांजी, खैर लाजी, लालबर्रा, मानपुर कोसमी अमला झिरी को प्रतिसिद्ध क्षेत्र से मुक्त करती है।

17.	Mandla district	Total Geographical area of Mandla district excluding Municipal area, Mandla, Maharajpur, Bambni, Nainpur, Dindori, and Shahpura, Village area Gohji, Raiat, Deodasa, Khedi, Manadei, (Chiraidongri Railway Station) Niwas Gada, Sarai, Barela Lalipur, Bechhiya, Kalpi Tikarai,
18.	Rewa district	Total Geographical area of Rewa district excluding Municipal area Semaria, Chakghat, Sirmor, Baikun-thpur, Rewa, Raipur, Managawa, Hanumana, Mhowganj, and Naigadi, Village, area Delhi, Tendusarch, Chorhata, Nipania, Kherra, Deotalao, Ratangawa and Khatakhari, Gudha, Teonthar.
19.	Satna district	Total Geographical area of Satna district excluding the following town/village, area-village Umri, Satna Bazar, Dhawari and Kuthi of Municipal Corporation Satna, Village Birhadihi Lalpur and Amarpatan of Municipal Amarpatan, Village Patehara, Maihar and Harnampur bazar Of Municipal Maihar, Village Bador and Kothi of Municipal Kothie Village Tilora, Baraj, Gargwar, Tharsadawa, Namtara, Naguad, Maharai, Kothar, Mahadahi and Barapa of Municipal Nagaud, Pateri Viratnaar, Mandi-Tola bardadeeg, Kologaon, Rampur Baghelan, Muncipal area Kotar and village Jaso, Raigon Bihra, Ramnagar,
20.	Sidhi	Total Geographical area of Sidhi district excluding

	district	village area Karondia-North tola, South tola Daniha, Sidhi-Kala, Madaria, Madhuri, Kothar, Kotarkala, Kotaha in Municipal Sidhi, Village area Patai Behera, Kesliwahi, Churhat, Gulawaspur, Dadar, Bhataha, Ramkudwa, Koladaha, Rajaghat, Barahal, Nauthia, Abad, Naudhai-Viram, Badhan, Medholi, Panjreh, Parasona, Baragawa and Dondi.
21.	Ujjain	Total Geographical area of Ujjain district excluding Municipal Corporation area Ujjain Municipal area Tarana, Barnagar, Khachrod, Mahidpur, Nagda, Unhel, Village area of Tajpur, Nam ar, Panthpiplai, Smodia Ghatia, Makdone, Roopa-Khedi Pat, Kaytha, Kath Barod, Jhomki, Bichhord, Ghosla Jagoti Maho, Jharda, Limboda, Jahagirpur, Karadi, Kharshrod, Khurd/Kala, Molans, Lohana, Piploo Talodkha, Runija, Chirola, Mdawads, Bedawaniya, Gangpur Zunthawad
22.	Shajapur district	Total Geographical area of Shajapur district excluding Municipal area Shajapur Maksi, Berchha, Moban. Barodia, Shujalpur, Kalapipal, Akoodia, Papa-Pakia, Sunser, Soyat Agar, Kanod, Barod, Nalkheda, Village area of Jaloda Sundrasi, Ghosla, Kulmi, Jhaker, Rath, Bhawar, Parwadi Syberam Dupara, Bolai, Choma Bijanna, Salsalai, Poda, Tilewad, Aroyakaln, Arondiya, nanadini, Khokra, Kalan, Berchha, Dattar, Avantipur, badodia, Dongeraon, Payli, Nodi, Nena Piplonkaloon, Tanadoia, Garbeda, Bahaon, Kholgaon, Tolkya, Pudi, Khadi, Damdam, gunderwan, Godlamau, Pipatyavigay.
23.	Ratlam district	Total Geographical area of Ratlam district excluding Municipal Corporation area Ratlam, Municipalarea Sailana, Namli Alot, Tal. Jawara and Piploda Village area Dentodia, Shivpur, Bangrod-Barbodna. Badawada, Khatakhedi, Dhodhar and Sukheda.
24.	Mandsaur district	Total Geographical area of Mandsaur district excluding Municipal area Mandsaur, Neemuch,
25.	Neemuch	Naryangarh, Pipliamandi, Sitamau, Mehargarh, Singoli, Jawad, Manasa, Shayamgarh, Garoth and Bhanpura, Village area Daloda, Dhundbarka, Chillod, Piplai, Lasurai, Khesdia, Titrod, Digeonmali, Balaguda, Jhantla, Athwa, Bugrug, Diken, Budarawan, Dewara, Kanghati, Umaria, Vashaniya, Nagri, Nimbod, Nikhod, Kachnara, palsor, Athana, Chitakheda, Jiran, Dhanoria Road, Sanjed, Mandla, Athwakhajuri, Panth, Bhensoda Ghandwasa, Malkheda, Bolia, barkheda, Gangasa, Bardia, Amra, Kalakheda, Khadawada, Hatunia, Suwasara, Sarwania, Maharraj J. Laduna, Tonduka Nehargarh, Sarthkheda, Lothkhedia, Antri Buzurg, Kukadeshwar Kayampur, Bahi Parasanth Depakheda, Chacor, Mahagarh, Takrawad and Runija.
26.	Bhopal district	Total Geographical area of Bhopal district excluding Municipal Corporation area Bhopal, Municipal area Berasia.
27.	Rajgarh district	Total Geographical area of Rajgarh district excluding Rajgarh, Beorakala, Khujner, Beora, Chapi heda, Padana, Beralpur, Khajoori-Gokul, Kurawar, Khilchipur, Peepaleda, Hakhed, Talen, Udenkhedi, Bmainswaa-Mata, Mau, Myona, Pachor, Pandlyamata, Narsingharh, Suthalia, Karanwas, Lakhanwas, Malwar, Boda, Mondawar, Parispura Raipuriya, Khadi, Machalpur Ramgarh, Papdel, Peepalyakala, Khajuria, Sonkhera, Amatyahai, Peepalya-kusmi, Bhojpur, Hasnod, Gongrmi, Sarangpur, Iklehra, Semrikala, Asrehta,

		Kharya, Adkhera, Adeie-Hada,	
28.	Vidisha district	Leerabhouhan, Panwodi, Jamunia, Gopchouhan, Dhuwakheri, Karodi, Jhadla, Chara, Kotharikala, Gongasemi & Sultania.	
29.	Raisen district	Total Geographical area of Vidisha district excluding Municipal area Vidisha, basoda, Sironj and Village area Pathari and Gulabganj, Lateri,	
30.	Sehore district	Total Geographical area of Sehore district excluding Municipal area Sehore, Ichhawar, Ashta, Nasrullaganj, Rehti and Budni, Jawar, Village area Shvampur, Sewda, Kelerama, Arolialat, Namainankala, Amalaha, Katheri, Karman, Khedi, Kaijlan, Mukkara Jharkheda, Khawai-kheda, Dhamanda Metawada, Bhapoda, Berkheri, Khunjnia-kala, Joontala and Khandwa Village Ahamadupur.	
31.	Shahdol district	Total Geographical area of Shahdol district excluding Municipal area Beohari, Pali, Shahdol, Budhar, Anuppur, Kotama, Umaria and Chandia, Village area Dhanpuri, Amlai Bijuri, Jaisinghnagar and Vivek Nagar.	
32.	Sagar district	Total Geographical area of Raisen district excluding Municipal area Raisen, Begamganj, Udaipura, Geratganj, Bareli, Sultanpur and Village area Obedullaganj, Sada, Mandideep, Navapura, Khargone, Nanpur and Gugalwada.	
33.	Damoh district	Total Geographical area of Sagar district excluding Municipal Corporation area of Sagar, Municipal area Khurai, Bina banda, Shahgarh and Deori, Village area Mandibganiora, Sanocha, Gaurjhamar, Gadakota, Rahaili, Shahpur.	
34.	Chhatarpur district	Total Geographical area of Damoh district excluding Municipal area Damoh and hatta, Village area Hindoria, Patharia, Cuch, Rasilpur, and Phitorakala.	
35.	Panna district	Total Geographical area of Chhatarpur district excluding Municipal area Chhatarpur, Naogaon, Laundi, (Harpalpur), Gadi, Malabra, Maharajpur, Bamgarh, Rajnagar in Sada area Khajurao Village area Sarawai, Alipura and Hatam. Total Geographical area of Panna district excluding village area Ajaigarli, Bliadurganj, Madhoganj, Badriundli, Alampur, rajapur, Kolan, Panna, Kakarbatti, Devandranagar, Tidhari, Thidharikhurd, Badera, Reojisagar, Bamuri, Badawara, Jamin-Baladhar Amanganj, Pawai and Gunorse.	
36.	Tikamgarh district	Total Geographical area of Tikamgarh district excluding Municipal area Tikamgarh, Baldeogarh, Lidhora, Prithvipur, Jatara, Tancherkala, Mawai and Bhelsi, Village area Ajnor, Archara, Barana (Thar), Baniori-kala, Chanderi, Shavani, Guhara and Maharajpur, karkua, Koili, Jeron, Khedri, Majal, Khanpur Niwadi, Badagaon (Dhasam), Deri, Dharagapur, Jerakhas, Vermimajha.	
37.	Hoshangabad district	Total Geographical area of Hoshangabad district excluding Municipal area Hoshangabad, Itarsi, Sohagpur, Harda, Seonibanapura, Khirkai and Timarni, Village area Babai, Them, Rawanpipal and Shivpur, Piparia.	
38.	Chhindwara district	Total Geographical area of Chhindwara district excluding Municipal area Amarwada, Harrai and Chhindwara, Village area Jamai, Parasia, Rakhiool, Navegaon, Dumua, Pandurna, Saunser, Pipalanarayanvarcol, Lodhikheda, Kalamagaon, Umranala, Imlikheda, and Ghutani, Ikalhara, Bhemani, Nutanchikli, Shivpuri, Rawanwada,	(1) 'बेरदी' Unpro-hibited area) राजपत्र असाधारण दि. 10-8-94 P. 736 (2) बोरगांव - Unprohibited

		Ambada, Sukari, Hohan Colliery, Nandan, Ghodawadi, Chaurai, Vishnupuri.	राजपत्र असा. 12.5.95 पेज (3) चौराई राजपत्र असा. 26.10.93 P. 707

Notification No. F-30-56-93-X-3, dated the 18 April 1995. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), the State Government hereby declares Industrial Area Boregaon of Chhindwara District as unprohibited Area out of the de-0 lared prohibited areas., as published in the Notification No F-30-56-93-X-3, dated 23rd February, 1994 in Extraordinary Gazette, Notification dated 23rd February 1994.

[Published in M.P. Rajpatra Part 1, dated 12-5-95 page 717]

39.	Seoni district	Manendragarh and Chainpur, Total Geographical area of Seoni district excluding Municipal area of Seoni and Baraghat, Village area Lakhnadaun, Gangerua, 'Dharna, Khanhiwada.	

Notification No. F-30-56-93-X-3, dated the 29 December 1994. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), the State Government hereby declares Municipal area Gangerua (Chhapra) of Seoni District as prohibited out of the declared unprohibited areas., as published in the Notification No F-30-56-93-X-3, dated 23rd February, 1994 in "Extraordinary Gazette", Notification dated 23rd February 1994.

[Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-12-94 page 2214]

40.	Narsinghpur district	Total Geographical area of Narsinghpur district excluding Municipal area Narsinghpur , Kareli, Gotegaon Nagar and Gadrwada, village area, Dokarghat, Salichauka, and Barman.	(गंगेरुआ (छपरा) सिवनी जिला prohibited राजपत्र असा. दि. 29.12.94 P. 2214

[Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 23-2-94 page 2 126 (8-16)]

Notification No. F-30-56-93-X-3, dated the 29 December 1994. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), the State Government hereby declares village "Dagania" Tahsil Gunderdehi of Durg District as unprohibited areas., as published Extraordinary Gazette Notification No F-30-56-93-X-3, dated 23rd February 1994.

[Published in All. P Rajpatra Part 1, dated 12-5-95 page 717]

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2011—पौष 21, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

क्र. 239-11-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 जनवरी, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 5 सन् 2011

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१०

[दिनांक 10 जनवरी, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 जनवरी, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१० है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा २ में, खण्ड (च) में, शब्द तथा कोष्ठक "चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास (डायमीटर्स), बारह इंच से अधिक न हो," का लोप किया जाए. **धारा २ का संशोधन.**

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

क्र. 240-11-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.5 of 2011.

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governer on the 10th January, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th January, 2010]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2010. **Short title.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), in clause (f), the words and bracket " circular saw (cutter) the diameters of which is not more than twelve inches" shall be omitted. **Amendment of Section 2.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2022—पौष 24, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र. 901-11-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 जनवरी 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२१

[दिनांक ११ जनवरी, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १४ जनवरी, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२१ है.

धारा ४ का संशोधन २. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा ४ में, खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक में, अर्धविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित नए परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या जो तीस सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड सॉ या री-सॉ या चक्राकार आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो :—

(एक) चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी;

(दो) ब्लॉक बोर्ड, मीडियम डेनसिटी फाईबर-बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद;

(तीन) राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लट्ठे या इमारती लकड़ी;

का उपयोग करते हैं, के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र नियत परिसर में प्रचालित किए जाएंगे और और ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिलेख संधारित करेंगे;''.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र. 901-11-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 of 2022

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 11th January, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th January, 2022.]

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2021.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984. (No. 13 of 1984), in clause (a), in the existing proviso, for sami-colon, colon shall be substituted and thereafter the following new provisos shall be inserted, namely :—

"Provided further that in areas other than prohibited areas such industries or processing plants which do not use round logs of wood of domestic origin or which operate without a band saw or re-saw or circular saw of more than thirty centimeter diameter, shall not require license:

Provided further that such industries or processing plants which use:

(i) sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood, veneers or imported wood;

(ii) block board, medium density fiber-board or similar wood-based products;

(iii) round log or timber from species exempted from the purview of felling and transit regime in the State,

shall not require license:

Provided also that such industries or processing plants exempted from licensing shall operate in a fixed premises and maintain records in such manner as may be prescribed by the State Government;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022—आश्विन 26, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15686-260-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक १५ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

धारा १३ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा १३ में, उपधारा (२) में, शब्द

"वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा", के स्थान पर, शब्द "वह प्रथम अपराध की दशा में, दस हजार रुपए तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, बीस हजार रुपए की शास्ति से दण्डनीय होगा" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15686-260-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 OF 2022

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 15th October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2022.

Amendment of Section 13.

2. In section 13 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), in sub-section (2), for the words "he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to six thousand rupees, or with both", the words "he shall be punishable with penalty of ten thousand rupees in case of first offence and twenty thousand rupees in case of second or subsequent offence" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.